

कैनेडा से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका

Year 2, Issue 6
April-June, 2005



वसुधा

VASUDHA A CANADIAN PUBLICATION

EDITOR - PUBLISHER : SNEH THAKORE

संपादन व प्रकाशन
स्नेह ठाकुर

वर्ष २ - अंक ६, अप्रैल-जून २००५

स क पर ईश्वर के बारे में बहस

विष्णु नागर

एक भौतिकशास्त्री स्टीफन अनविन ने वैज्ञानिक रूप से यह साबित करने के लिए कि ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर के अस्तित्व तथा अनस्तित्व के बारे में अभी तक के सभी तर्क और प्रमाण जुटाए। फिर उन्होंने भविष्य की घटनाओं को जानने में प्रयुक्त गणितीय बायस सिद्धान्त की कसौटी पर उन सभी प्रमाणों-तर्कों को कसा। उनका निष्कर्ष है कि ईश्वर होने की संभावना ६७ प्रतिशत तक है।

- एक समाचार

मैंने उसे कभी नहीं देखा
इसलिए मैं ईश्वर पर विश्वास नहीं करता
अगर वह चाहता होता कि मैं उस पर यकीन करूँ
तो निश्चित रूप से वह मेरे पास आता
मेरे दरवाज़े पर दस्तक देकर कहता 'यह मैं हूँ'
अगर फूल, पे , पहा , सूर्य और चाँद ही ईश्वर हैं
तो मैं उसे ईश्वर क्यों मानूँ?

- फर्नान्डो पेसोआ (पुर्तगाली कवि)

क्या ईश्वर पृथ्वी से दुष्टवृत्तियों का विनाश करना चाहता है मगर इसमें समर्थ नहीं है?
तो वह सर्वशक्तिमान कैसे हुआ !
वह तो अपकारी हुआ।
तो क्या वह समर्थ है और दृढ़ संकल्प भी?
अगर ऐसा है तो इस दुनिया में इतनी सारी दुष्टवृत्तियाँ आ कहाँ से जाती हैं?
क्या वह न तो समर्थ है और न इच्छुक?
तो फिर हम उसे ईश्वर मानें ही क्यों?

- एपिकरस (ग्रीक दार्शनिक)

x x x x x x x x

उनमें बहस चल रही थी।

एक कह रहा था कि ईश्वर है। दूसरा कह रहा था कि ईश्वर नहीं है।

बहस नई नहीं थी। हमारी परंपरा में जहाँ-तहाँ इस तरह की बहसें मौजूद हैं। फिर भी किसी भी बारे में, कभी भी, दो लोगों में बहस तो हो ही सकती है। होनी भी चाहिए।

दोनों हार नहीं मान रहे थे। बहस दिलचस्प मो ले रही थी।

ईश्वर को न मानने वाले ने लगातार बोलना शुरू किया : 'मान लो मेरे न मानने के बावजूद ईश्वर है तो क्या वह मेरे मरने के बाद मुझे सिर्फ इसलिए नरक भेज देगा कि मैं उसे नहीं मानता? और क्या आप ऐसे ईश्वर को ईश्वर मानेंगे जो कि एक आदमी को सिर्फ इसलिए नरक भेज देता है कि वह उसे नहीं मानता? क्या आपकी कल्पना का ईश्वर इतना अनुदार हो सकता है?'

'तब ईश्वर मेरे बारे में फैसला किस आधार पर लेगा? क्या उन्हीं आधारों पर नहीं, जिन आधारों पर वह आपके बारे में निर्णय लेता है? यानी ईश्वर अगर है तो वह आप सारे भक्तों को तो स्वर्ग भेज नहीं देता होगा? वह भक्तों में फर्क अवश्य करता होगा - उनके कर्मों के आधार पर। इसी आधार पर वह आपमें से किसी को स्वर्ग में और किसी को नरक में भेजता होगा। यही मेरे साथ भी करेगा।'

'वैसे यह सही है कि कोई शक्तिशाली है और उसके सामने अगर कोई एक झुकता है मगर दूसरा झुकने से मना करता है तो शक्तिशाली झुकनेवाले को पसंद करता है, उसे नहीं जो कि नहीं झुकता।'

घर जातीं न किसी को अपने घर बुलातीं। बाजार-हाट में निकलने का तो प्रश्न ही न था। मायके में से भाभी-बहन में से कोई भूले-भटके आ जातीं तो दिल धुक-धुक करता रहता। पता नहीं देवदत्त किसके साथ क्या हरकत कर बैठें। उनकी कोशिश रहती कि देवदत्त के घर लौटने से पहले ही उन्हें विदा कर दें।

देवदत्त के मायके साथ आने पर भी वे घबराया करतीं। वे कब माँ-बाबूजी का अपमान कर दें, नहीं जानती थीं। माँ-बाबूजी उन्हें कितना भी देते लेकिन वे कमी निकालकर ही रहते। धीरे-धीरे मायके से भी स्वयं को काट लिया।

वक्त गुजरता रहा। सब भाई-बहन बँ हो गए। घर की स्थिति सँभली। देवदत्त उन्हें लेकर शहर में रहने लगे। सोचा बला टली। शहर में रहकर कुछ तो सँभलेंगे, लेकिन हर तीसरे दिन गाँव उन्हें खींच लेता। यदि किसी कारणवश न जा पाते तो भाभी यहाँ आ जातीं। भाभी के बच्चे शहर में रह कर पढ़ने लगे। वे उनके चेहरों में देवदत्त को ढूँढ़तीं। देवदत्त की रसिक आदत के कारण जल्दी-जल्दी घर बदलने पड़े। आखिर तंग आकर एक मकान खरीद लिया।

देवदत्त की आदत न बदलनी थी सो न बदली। किसी के बेडरूम तक पहुँचना उनके लिए बहुत आसान था। कभी प्रसाद देने के बहाने, कभी अखबार या मैगज़ीन लेने या देने के लिए अथवा कोई खास बात बताने के लिए। स्वयं तो किराये के मकानों में आराम से रहे नहीं, हाँ अपने घर में भी किराएदार आने के सप्ताह भर बाद ही दूसरा मकान ढूँढ़ने लगता।

बहुएँ आई तो किसी न किसी बहाने बहुओं के चारों तरफ मँडराने का प्रयास करते। वे आ बनतीं तो मार खातीं। बहुओं की खातिर वे चुप रह जातीं। बेटे बहुओं को लेकर नौकरी पर चले गए तब उन्होंने शांति की साँस ली।

लेकिन उनके भाग्य में तो अशांति लिखी है। देवदत्त कभी बेटों के घर जाते तो आ बन वे भी चली जातीं। देवदत्त की दाल न गल पाती। बहुएँ शिकायत करतीं - 'मम्मीजी, पापाजी को समझाइए न, अंडरवियर पहन कर न घूमा करें, अपने कपड़े लौन में न फैलाएँ, नौकरों से घर की बातें न करें। नौकरानियों को चाय-नाश्ता क्यों ऑफर करते हैं। अपना टॉयलेट क्यों नहीं इस्तेमाल करते? हमारे बेडरूम के टॉयलेट में क्यों जाते हैं?'

वे असहाय-सी असहज हो उठतीं। फिर खिसियानी हँसी हँस कर कहतीं - 'उनसे कुछ भी कहना व्यर्थ है। तुम्हारे ससुर कोई बच्चा हैं। तुम्हीं क्यों नहीं मना कर देती? मेरी मानो तो, आस-पौसे में यदि अपनी इज्जत चाहती हो तो कुछ न कहना। दो-चार दिन सह लो किसी प्रकार।'

वे बहू का उतरा चेहरा और डबडवाई आँखें देख कर स्वयं में सिमट जातीं। अब क्या इन्हें समझाने की उम्र है? जिसे पूरी उम्र समझ नहीं आई, जो अपनी समझ से चलता रहा, उसे कौन समझाए?

एक बार छोटी बहू ने गाँी का दरवाज़ा खोलकर कहा - 'पापाजी, आप पीछे बैठिए।'

बहू के कहने पर देवदत्त पीछे चले आए, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगा। बाद में बहू ने सफाई दी - 'मम्मी, कोमल तो पापाजी से कुछ कहते नहीं। पापाजी के साथ बैठकर मैं कॉन्फिडेंटलि गाँी नहीं चला सकती। कभी मेरे बाल उ कर पापाजी को छूने लगते हैं, कभी दुपट्टा खिसक जाता है, कभी बाँह छूने लगती है। ध्यान इधर ही लगा रहता है। अच्छा नहीं लगता।'

वे क्या ये सब समझती नहीं। हर बार वे हरएक की निगाहों में गिरी हैं। देवदत्त की हर गलती के लिए वे ही कठघरे में खड़ी हुई हैं। स्वयं प्रश्न-चिन्ह बन गई हैं। देवदत्त के किसी भी कृत्य का उनके पास कोई उत्तर नहीं है। सब समझते हैं कि उनकी ही मूक सहमति है। अपना दिल खोल कर कब-कब कहाँ-कहाँ दिखाएँ।

इतना सब कुछ वे जुबान से न बता पाएँ कि क्यों बेटे-बहू के पास जाना छो दिया। क्यों कभी मनुहार कर दामादों को नहीं रोक पाई। क्यों किसी के घर आने पर उद्विग्न हो उठती हैं, न ढंग से बातें कर पाती हैं और न सत्कार ही। उन्हें मालूम है कि मेहमानों के जाने के बाद फिज़ूलखर्ची पर कितना लेक्चर सुनना पड़ेगा। वे कागज़-कलम लेकर बैठ गई हैं। एक-एक घाव उधाती जाती हैं, लिखती जाती हैं, ढँकती जाती हैं। लिख चुकने पर स्वयं ही बाँचने बैठ जाती हैं। ये सब किन्हे पढ़ाऊँ - बहुओं को? दामादों को? विवेक झकझोरता है - नहीं। ये सब अतीत की बातें हैं। बहुएँ और

मन से कुड़ा हुआ मैं दूसरे दिन भी उसी प्रकार बेंच पर जाकर बैठ गया और दरबान के साथ बतियाने लगा। दरबान कहता जा रहा था कि उसने रात को जो खाना खाया था वह उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहा। इसीलिए उसका सुबह से पेट ठीक नहीं है और पेचिश की हाजत हो रही है, यह कहते-कहते वह फुर्ती से उठा और बाथरूम की ओर चला गया।

ठीक उसी समय गुप्ता जी का पदार्पण हो गया अपने एक चमचे के साथ जो कुछ फाइलों को पकें उनके पीछे-पीछे चला आ रहा था। मैंने खड़े होकर अभिवादन किया। गुप्ता जी ने मेरी ओर देखा तक नहीं। हाँ, उनके पीछे फाइल पकें हुए चमचे ने मेरी ओर देख कर उपहास की हँसी छो दी। मैं जल-भुन उठा।

तब मैंने आव देखा न ताव और दरवाज़े को धकियाते हुए सीधा गुप्ता जी के कमरे में जा पहुँचा। मैंने जाते ही कहना शुरू किया 'गुप्ता जी, मैं अपने दफ्तर के काम से चार दिन से आपके पास आ रहा हूँ। ये रहे वे कागज़ जिसमें आपको हस्ताक्षर करने हैं। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम हरिकिशन है और हम वर्षों से आपके पोस में ही तो रहते थे।'।

'मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ ज़नाब आपको। आपका नाम हरिकिशन है, आपके बड़े भाई का नाम विष्णुकांत है और आपके पिता जी का नाम रामकिशन है। आपको कुछ तहज़ीब तो सीखनी चाहिये। आप पहले बाहर जाइये, अपने नाम की पर्ची दीजिये। हम बुलाएँगे तब आइयेगा। दफ्तर का कुछ प्रोसीजर होता है, उसे पहले सीखिए। जाइये, मुँह क्या ताक रहे हैं आप। प्लीज़ गेट आउट।'।

मैं तिलमिलाता हुआ गोली की तरह बाहर आया। तेज़ कदमों से नीचे उतरा। अपना दुपहिया वाहन पकट और दफ्तर में आकर अपने बॉस को कागज़ पकटते हुए कहने लगा 'सर, यह काम मुझसे न हो सकेगा। किसी और को यह काम सौंपने की कृपा करें, प्लीज़।'।

'लेकिन हरिकिशन जी, आप तो कह रहे थे कि जनरल मैनेजर आपका बचपन का दोस्त है। बहुत भला आदमी भी है। तो अब क्या हो गया? एक मामूली हस्ताक्षर भी आप नहीं करा सके?'।

'सर, वह तब अच्छा दोस्त भी था और अच्छा इंसान भी। किंतु अब तो वह आदमी पूरा ही सचुका है और उससे बड़ी दुर्गन्धि आने लग गई है। इसलिए मुझे क्षमा करें। प्लीज़, किसी और को यह काम सौंपने की कृपा करें।'।

बॉस अपलक नेत्रों से मुझे देख ही रहा था कि मैं कागज़ों को अस्त-व्यस्त ढंग से बॉस की मेज़ पर छोड़ कर गोली की तरह बाहर आ गया।

पहचान मुश्किल है

डा. भगीरथ बोले

बैठकर ज्वालामुखी पर बात मत करना नमी की,
आज फिर पहचान गुम होने लगी है आदमी की।
कुछ पता चलता नहीं, है कौन कौरव, कौन पाण्डव,
क्या जरूरत शस्त्र रखने के लिए कोई 'शमी' की।
पथ पर चलते हुए भी आज अंधे-बावले सब,
वाहवाही चाहते हैं, छे ते हर धुन गमी की।
गर्म है बाज़ार, बिकते ही रहे ढेरों मुखौटे,
और खस्ता हो रही हालत इसी से सरज़मी की।
थी कभी ताकत, सभी ऊँचाईयाँ थी हाथ अपने,
चल रही चौपाल पर चर्चा इसी कारण कमी की।

या हम ही स्वयमेव अज्ञानता के कारण इन से कट गये। वास्तव में हम अपनी भव्य परम्परा से कटे हुए हैं। लेकिन हमारी इन प्राचीन भाषाओं में उपलब्ध प्राचीन शास्त्रों का अधिक दोहन पाश्चात्य देशों में हो रहा है और पाश्चात्य देश इन से भरपूर लाभ उठा रहे हैं।

इन प्राचीन भाषाओं से विकसित हमारी वर्तमान आधुनिक भारतीय भाषाओं को भी वे सारे गुण लक्षण, प्रवृत्तियाँ व सामर्थ्य विरासत में प्राप्त हुए हैं। अंग्रेज राज स्थापना से पहले तक वे सारी भाषाएँ अपने-अपने इलाकों में संबंधित भाषायी समाज की समस्त आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करती रहीं और संपर्क भाषा के रूप में मध्य देश की भाषा पहले संस्कृत और बाद में क्रमशः पालि, प्राकृत और अपभ्रंश कार्य करती रहीं। संपर्क भाषा के विकास, प्रचार प्रसार में सभी इलाकों के सभी भाषाओं के लोग योग देते रहे हैं। तमिल भाषी लोग इसके अपवाद नहीं रहे हैं, बल्कि अन्य लोगों की तुलना में तमिल प्रांत के लोगों का इसमें अधिक योगदान के प्रमाण मिलते हैं। नवीन शोध से यह पता लगा कि तमिल भाषी अन्य देशवासियों व विदेशियों से संपर्क के लिए संस्कृत का प्रयोग करते थे।

तमिल व्यापारी चीनी और जापानी व्यापारियों से तथा अन्य दक्षिण पूर्वी एशियायी देशों के व्यापारियों से अपना व्यवहार संस्कृत के ही माध्यम से किया करते थे। लगभग सभी भारतीय भाषाओं का मुख्य स्रोत संस्कृत शब्द संपदा है। बताया जाता है कि संस्कृत में मूल धातु १७०० हैं, जिन्हें ७० प्रत्यय तथा ८० उपसर्ग जो ने से जो शब्द संख्या उभरती है वह है २७,२०,०००। संयुक्त शब्द और वह भी मात्र दो शब्दों से बननेवाले जो दें तो ७६९ करोड़ शब्द बनते हैं। इसमें दो राय नहीं है कि समस्त भारतीय भाषाओं ने अपनी आवश्यकता के अनुसार संस्कृत की इस अपार शब्द-संपदा से लाभ उठाया है। भारत की भाषाएँ ही नहीं अपितु बृहत्तर भारत के अंग माने-जाने वाले दक्षिण पूर्वी एशियायी देशों की भाषाएँ भी संस्कृत की ऋणी हैं।

सार्वदेशिक जनसंपर्क भाषा के क्रम में वर्तमान समय में हिन्दुस्तानी संपर्क भाषा के रूप में काम में आ रही है। यही संपर्क भाषा हिन्दी और उर्दू के नाम से भी जानी पहचानी जाती है। इस संपर्क भाषा हिन्दी की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए अज्ञेय जी कहते हैं 'हिन्दी अपने आरम्भ से ही प्रतिष्ठान के विरोध की भाषा रही है। न कभी प्रतिष्ठान को उसने अपनाया, न उसे कभी यह सोचने का कोई कारण या आधार मिला कि वह प्रतिष्ठान के साथ संयुक्त है या हो सकती है। इस विरोध की भावना ने उसे एक विलक्षण आत्म-विश्वास दिया, एक गहरे धार्मिक संस्कार के बीच भी लौकिक जन मात्र के महत्व का बोध कराया। प्रतिष्ठान विरोधी अपनी मूल प्रवृत्ति का निर्वहण करते हुए हिन्दी दूसरी ओर परम्परा का संवहन करने वाली भाषा भी बनी रही। अपने स्वभाव और अपनी प्रादेशिक स्थिति के कारण हिन्दी में निरन्तर एक सांस्कृतिक केन्द्रोन्मुखता रही जिसके कारण भारत भर में होने वाले सांस्कृतिक विकास को और चिन्तन की नयी प्रवृत्तियों को उसने ग्रहण किया और फिर समस्त देश में वितरित किया। दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के प्रभाव हिन्दी ने ब्रज मंडल में ग्रहण किये और फिर सुदूर असम तक वितरित कर दिये। इसी प्रकार बंगाल और नेपाल से सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को ग्रहण करके उसने सुदूर दक्षिण तक पहुँचाया। सही अर्थों में हिन्दी एक 'सांस्कृतिक क्लियरिंग हाउस' का काम करती रही। इस प्रकार हिन्दी उन दिनों में ब्रज मंडल से बाहर सारे देश में सम्मान पाती थी। और इसका कारण यह नहीं कि ब्रज मंडल का कोई समर्थ और शक्तिशाली राज्य था जिसके दब-दबे के कारण दूसरे राज्य उसकी भाषा को सम्मान देते हों। कारण यह था कि हिन्दी भारतीय संस्कृति की समग्रता की वाणी भी थी। भारतीय चेतना के प्रसार में योग देती थी और भारतीय प्रतिभा की उपलब्धियों को सारे देश से संग्रह करके सारे देश में वितरित करती थी।' असम के ब्रजबुली साहित्य में और केरल के राजा स्वातितिरुणाल के गीतों में जो भाषा प्रयुक्त है वह ब्रज भाषा ही है। आन्ध्र प्रदेश की एक पुरानी रियासत 'वेंकटगिरि' में अभी हाल ही में ब्रजभाषा में एक पांडुलिपि मिली है जिसकी लिपि तेलगु है। इसमें ब्रज भूमि की चौरासी कोस की यात्रा का क्रमबद्ध वर्णन है। इस पांडुलिपि का संबंध संवत् १६०० से माना जाता है।

आठ खंडों में प्रकाशित तेलगु शब्द-कोष सूर्यरायान्ध्र निघंटु के आठवें खंड में 'संजीवनी का अर्थ दिया हुआ है 'कलसिब्रतुकुट' अर्थात् साथ मिलकर जीने का गुण। भारतीय भाषाओं के संदर्भ में यह अर्थ सटीक बैठता है क्योंकि अनंत काल से हमारे देश की भाषाएँ बिना किसी संघर्ष के एक-दूसरे को परिपुष्ट और संपुष्ट करती हुई साथ-साथ मिलकर विकसित और समृद्ध होती गयी हैं। ब्रिटिश

राज्य की स्थापना के बाद अंग्रेजी के कारण उपेक्षित पड़ी हुई हमारी भाषाओं की इस संजीवनी शक्ति का सही इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। और इस तरह हमारी राष्ट्रीय ऊर्जा बेकार पड़ी हुई है।

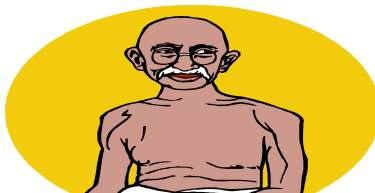
अंग्रेज राज्य की स्थापना के बाद भी भारतीय भाषाओं को उचित दाय दिलाने के लिए आंदोलन होते रहे हैं। १९२० से अर्थात् राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के भाषावार पुनर्गठन से लेकर १९५६ तक अर्थात् राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने तक भाषावार राज्य रचना के लिए जो प्रयास किये गये थे, इनके पीछे एक उद्देश्य यह भी था कि भारतीय भाषाओं की संजीवनी शक्ति से प्रत्येक राज्य और सम्पूर्ण राष्ट्र फायदा उठाये। हर साल हम १४ सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाते हैं क्योंकि १४-९-१९४९ को संविधान सभा ने संघ की राजभाषा हिन्दी से संबंधित अनुच्छेद ३४३ पारित किया। वास्तव में देखा जाए तो १४ सितम्बर का दिन आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास संबंधी संघर्ष के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण दिन माना जाएगा। इस ऐतिहासिक घटना की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। यह घटना संविधान सभा के द्वारा अनुच्छेद ३४३ के पारित करने के दिन १४-९-१९४९ से ठीक १०२ साल पहले अर्थात् १४-९-१८४७ से संबंधित है। यह घटना सुदूर उत्तर पूर्वांचल में घटित हुई है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना से पहले ही देश में राष्ट्रीय भावना जाग उठी थी। इतना ही नहीं, भाषा के मसले को लेकर भाषायी अस्मिता और भाषायी अनुरक्षण को लेकर भी सारे देश में आंदोलन भड़क उठे थे। सन् १८३६ में अंग्रेज सरकार द्वारा कचहरी और स्कूलों में असमीया भाषा को हटाने के आदेश जारी करने से उसके विरोध में असम की जनता ने भारी आंदोलन किया। भाषा को लेकर भारत में उठ खड़े हुए आंदोलनों में यह प्रथम आंदोलन है जिसमें परवर्ती भाषावार राज्य रचना के आंदोलन की जागृति बीज रूप में छिपी हुई थी। अंग्रेज सरकार को इस समस्या का हल ढूँढ़ने के लिए 'जस्टिस मिल' के आयोग का गठन करना पड़ा। सुखद संयोग की बात है कि 'जस्टिस मिल' ने असमीया भाषा का पक्ष लेते हुए उसे राजकाज, स्कूलों व कचहरियों की भाषा बनाने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट १४-९-१८४७ को ही सरकार को प्रस्तुत की। इस वास्ते भी १४ सितम्बर, हमारे लिए स्मरणीय दिन है, गौरव का दिन है। अपनी भाषाओं को पुनः प्रतिष्ठित करने की प्रेरणा लेने का दिन है।

महात्मा गाँधी जी ने न केवल हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी के बारे में अपने विचार प्रकट किये अपितु समस्त भारतीय भाषाओं पर भी अपने बहुमूल्य अभिमत व्यक्त किये थे। भारतीय भाषाओं पर गाँधी जी ने जो विचार व्यक्त किये उन सब को एकत्रित कर उनका प्रचार और प्रसार कर सकें, उनको सही मायनों में समझ और समझा सकें तो मैं समझता हूँ भारतीय भाषाओं को उनकी वर्तमान दयनीय व दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से उबार सकते हैं। संयोग की बात है कि यूनेस्को ने गाँधी जी के १२५वें जन्म जयंती वर्ष को सहिष्णुता वर्ष के रूप में घोषित किया। राष्ट्र भाषा व भारतीय भाषाओं पर गाँधी जी की चिन्तन-धारा के विपुल प्रचार के साथ, गाँधी जी ने भारतीय भाषाओं की संजीवनी शक्ति एवं राष्ट्रीय ऊर्जा पर जगह-जगह व समय-समय पर जो सुनिश्चित विचार व्यक्त किये थे, उनका राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार भी हमें करना है।

अंत में गाँधी जी के उन सुचिंत्य विचारों में से दो उद्धरण यहाँ देकर मैं इस आलेख को समाप्त करना चाहूँगा।

'देश के नौजवानों पर एक विदेशी माध्यम थोप देने से उनकी प्रतिभा कुंठित हो रही है और इतिहास में इसे विदेशी शासन की बुराइयों में से सबसे बड़ी बुराई मानी जाएगी। इसलिए शिक्षित भारतीय अपने आप को विदेशी माध्यम के इस व्यामोह से जितनी जल्दी मुक्त कर लेंगे, हिन्दी और देशी भाषाओं को अपना लेंगे, उतना ही अच्छा होगा।' (यंग इंडिया : ५-७-१९२८ से)

'हमारे भविष्य के राष्ट्रपति को अंग्रेजी जानने की आवश्यकता नहीं होगी। उनकी मदद के लिए ऐसे लोग जरूर होंगे जो सियासत में होशियार होंगे और विदेशी भाषाएँ भी जानते होंगे।' (प्रार्थना प्रवचन : २-७-१९४७ से)



कब किस पर संकट आता है
 यह तो विधि का विधान ही जानता है।
 हमें एक-दूसरे का सम्बल बनना है
 दृढ़-प्रतिज्ञ लौह-तार-सा सशक्त बनना है
 सम्बन्धों को ममत्व-धार से सींचना है
 स्नेह-सिक्त-घृत से दीप जलाए रखना है।
 प्रकृति के दर्दनाक हादसे से
 क्षण में बदल गया जीवन का रूप
 शब्दों की सीमा में बाँधूँ कैसे
 अवांछित, अवर्णित हादसे का स्वरूप?

पी १ के पर्वत पर चढ़ीं
 आहें साँसों में अटकीं
 करुणा-सागर में डुबोने वाला
 जीवन में भयंकर सैलाब आया।
 पलकों में छिपे कुहासों को
 आँखों में जलते दुखद पलों को
 सीने में बसी बोझिल साँसों को
 टूटे ख्वाबों की ताबीरों को
 दुर्दम्य समय के करवट बदलते क्षणों को
 ममता की कर्तियों से जो ना है
 उदासी घिरे चेहरों पर स्मित-हास्य लाना है
 मँझधार में फँसी नौका को साहिल पे टिकाना है
 पतझ में प्राण फूँकना है
 जल-प्लावन से उज १ भूमि को फिर से बसाना है
 जन-जन के हृदय में प्रेम-वीणा-स्वर गुँजाना है।

हम भारतीय गर्व से सर उठा
 कहते हैं दुनियाँ के देशों से
 न केवल हम करेंगे अपनों की सहायता
 कर गैरों की सहायता फर्ज अपना निभाएँगे।
 कनेडियन होने का भी गर्व कम नहीं
 पर-पी १ आहत हृदय चहुँ ओर सभी
 बच्चा-बच्चा दिखा रहा चमत्कार
 वसुधैव कुटुम्बकम् को कर रहा साकार।

अतः,
 प्रलय-साक्षी दिलों का दर्द मिटाते चलो
 आपदा-त्रस्त को आँचल की छाँव देते चलो
 जख्म गहरे, मरहम लगाते चलो
 नयनों में नव-स्वप्न जगाते चलो
 मन, वचन, कर्म से आस-दीप जलाते चलो
 आस-दीप जलाते चलो।





स्नेह ठाकुर की प्रकाशित पुस्तकें

अनमोल हास्य क्षण	(नाटक-संग्रह)
जीवन के रंग	(काव्य-संग्रह)
दर्दे-जुबाँ	(नज़्म व ग़ज़ल संग्रह)
आज का पुरुष	(कहानी-संग्रह)
जीवन-निधि	(काव्य-संग्रह)
आत्म-गुंजन	(आध्यात्मिक-दार्शनिक गीत)
हास-परिहास	(हास्य कविताएँ)
ज़ज़्बातों का सिलसिला	(काव्य-संग्रह)
The Galaxy Within	(A collection of English poems)
अनुभूतियाँ	(काव्य-संग्रह)
काव्य-वृष्टि	(संकलन एवं संपादन)
पूरब-पश्चिम	(आप्रवासी सम्बन्धित आलेख संग्रह)
बौछार	(संकलन एवं संपादन)
काव्य हीरक	(संकलन एवं संपादन)
संजीवनी	(स्वास्थ्य सम्बन्धी लेख)
उपनिषद् दर्शन	(आध्यात्मिक)
काव्य-धारा	(संकलन एवं संपादन)
काव्यांजलि	(काव्य-संग्रह)
अनोखा साथी	(कहानी-संग्रह)

प्रकाशक व वितरक

स्टार पब्लिकेशन्स (प्रा.) लि.
४५ बी., आसफ अली रोड
नई दिल्ली - ११०००२
भारत
Star Publishers' Distributors
55, Warren Street
LONDON – W1T 5NW
England

दिल्ली प्रेस की सरिता व अन्य राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय
पत्रिकाओं में भी रचनाएँ प्रकाशित